प्रकरण संख्या 6/2018 चन्दनसिंह बनाम देवीसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.08.2018	वकील आवेदक उपस्थित। विपक्षी संख्या 1, 2, 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित। राजकीय अधिवक्ता अनुपस्थित। वकील आवेदक/अपीलान्ट को उक्त रिव्यू आवेदन पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा वाद संख्या 134/2015 स्थाई निषेधाज्ञा का तथा आराजी नंबर 2599/47 जो कि विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट की खातेदारी का था, उस पर रास्ते की भी मांग की गयी थी। अधिनस्थ न्यायालय उक्त वाद को उभयपक्षों को सुनने के बाद राजीनामे के आधार पर दिनांक 26–05–2017 को डिक्री किया तथा वादी/अपीलान्ट/प्रार्थी ने सहमति दी थी कि वह आराजी नंबर 2599/47 पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करेगा तथा अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त सहमति के आधार पर ही निर्णय पारित करते हुए वादी/अपीलान्ट/प्रार्थी को वांछित आराजी नंबर 2599/47 में रास्ते बाबत् कोई अनुतोष नहीं दिया था। अपीलान्ट/वादी द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 46/2017 दिनांक 10–07–2018 को निर्णय पारित करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित करने के कारण अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं माना है। अपीलान्ट द्वारा अब यह रिव्यू आवेदन प्रस्तुत कर यह कहना कि उसके द्वारा अपील में रास्ते बाबत् भी अनुतोष चाहा गया था, जिस पर इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया गया। इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित होने के कारण कोई अनुतोष नहीं दिया जाना व्यक्त किया गया है तथा स्वयं वादी/अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत कर आराजी नंबर 2599/47 में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने का कथन किया था,	

तद्नुसार ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद डिक्री किया गया था तथा इस न्यायालय द्वारा भी अपील में इसी आधार पर निर्णय पारित किया गया है। जिस आराजी पर स्वयं वादी/अपीलान्ट/प्रार्थी ने दखलन्दाजी नहीं करने बाबत् सहमति दी है उस पर अपील में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिये जा सकने का इस न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। तद्नुसार इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में रिव्यू किये जाने का कोई आधार नहीं है।

अतएवं अपीलान्ट/प्रार्थी का रिव्यू आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 6/2018 चन्दनसिंह बनाम देवीसिंह